।। कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।।

पत्रांक 2885 /12–1 गोपेश्वर, दिनांक फरवरी 10 2016।

सेवा में ,

अधिशासी अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
गौचर।

विषयः– **कर्णप्रयाग नैनीसैंण के कण्ड़ारा से केदारकोट मोटर मार्ग के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपको अवगत करना है कि दिनांक 04–02–2016 को अधोहस्ताक्षरी द्वारा उक्त मोटर मार्ग का स्थलीय निरीक्षण किया गया। स्थलीय निरीक्षण के दौरान देखा गया कि प्रस्तावित संरेखण के किमी0 01 से किमी0 8.600 तक कुल 7.60 किमी0 तक आरक्षित वन है। प्रस्तावित मोटर मार्ग की कुल 6.450 है0 वन भूमि में से 5.720 है0 आरक्षित वन भूमि प्रभावित हो रही है।

मोटर मार्ग के निरीक्षण से यह स्पष्ट है कि आरक्षित वन क्षेत्र में वृक्षों की सघनता है। आप द्वारा तैयार प्रस्ताव में मात्र 227 वृक्ष दिखाये गये है जबकि स्थल को देखने से वृक्षों की संख्या कही ज्यादा प्रतीत होती है।

अतः आप अपने स्तर से तिथि निर्धारित कर इस विभाग के साथ दोबारा संयुक्त निरीक्षण कर वृक्षों की संशोधित सूची को पार्ट । में अपलोड़ कर प्रस्ताव इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें, ताकि प्रस्ताव में अग्रेत्तर कार्यवाही सम्भव हो सकें।

भवदीय

प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

पत्रांक 2885 /12–1 दिनांकित।

प्रतिलिपिः– वन क्षेत्राधिकारी, नारायणबगड़, को इस आशय से प्रेषित कि वे प्रस्तावक विभाग के प्रतिनिधि के साथ संयुक्त निरीक्षण कर वृक्षों की संशोधित सूची, मुल्यांकन सूची एवं बांज वृक्षों के पातन के प्रमाण पत्र तैयार कर प्रस्तावक विभाग एवं इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।